छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 623/2007</u>

श्री असीम राज लालजी,
हेम–विला, 07/1298, ओम नगर चौक,
जरहाभाठा, बिलासपुर,
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर, बिलासपुर
जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 11 सितम्बर 2007)

अपीलार्थी श्री असीम राज लालजी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, जिला बिलासपुर के आदेश दिनांक 19–04–2007 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 23–01–2007 के द्वारा तहसील मुंगेली में दाऊपुरा चौक स्थित मकान खसरा नंबर–443, पटवारी हल्का नंबर–06 तथा ग्राम बरदूरी तहसील–मुंगेली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर–353, पटवारी हल्का नंबर–21 एवं खसरा नंबर–404 की मिसल बन्दोबस्त, खसरा पंचशाला बी–1 तथा सन् 1920 से लेकर वर्तमान तक का अधिकार–पत्र की जानकारी चाही थी। समय–सीमा में अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया कि वांछित अभिलेख में नियमानुसार नकल का प्रावधान है, अतः नकल का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जावे। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर को अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 19–04–2007 आदेश पारित किया गया कि अपीलार्थी ने जिन अभिलेखों की जानकारी चाही है, वह तहसील मुंगेली से संबंधित है अतः लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मुंगेली के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना था न कि लोक सूचना अधिकारी जिला–कार्यालय बिलासपुर के समक्ष। अतः अपील अग्राह्य की गई। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने द्वितीय अपील आयोग को प्रस्तुत की है। उसका मुख्य तर्क यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उसे वांछित अभिलेखों की प्रति दी जाना चाहिये थी। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अंतर्गत भू–अभिलेख की नकल सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। अधिनियम की धारा–8 या धारा–9 में इस प्रकार की छूट का कोई उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी ने इस आधार पर अपील स्वीकार करने एवं अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने का उल्लेख किया है। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि वांछित अभिलेख 20 वर्ष के पूर्व के हैं अतः सूचना

का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं माँगे जा सकते। जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि भू–अभिलेखों की प्रति हेतु पूर्व से ही नियम हैं, जिसके अनुसार जिला कार्यालय की प्रतिलिपि शाखा में आवेदन देकर तथा शुल्क जमा कर अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को नियमानुसार अभिलेखों की वांछित प्रति उक्त नियमों के तहत प्राप्त करनी थी।

3/ मेरे द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। जन सूचना अधिकारी का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अभिलेख 20 वर्ष के पूर्व के हैं। अपीलार्थी के द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में केवल कंडिका क्रमांक–3 1920 से लेकर वर्तमान तक के अधिकार पत्र की जानकारी चाही थी। खसरा पंचसाला/बी–1 की जानकारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं थी तथा 20 वर्ष के पूर्व का अभिलेख भी यदि कार्यालय में उपलब्ध है, तो वह भी दिये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक इस बिन्दु का संबंध है कि पृथक से भू–अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु नियम बने हुये हैं तथा उन नियमों के अंतर्गत नकल की फीस जमा कर अभिलेख प्राप्त किये जा सकते हैं, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम ऐसे अभिलेख पर प्रभावशील नहीं होता। सूचना अधिकारी के इस तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि किसी अभिलेख को प्राप्त करने के लिये यदि पृथक से कोई नियम बने हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदन देने पर आवेदक को इन नियमों के अंतर्गत जानकारी नहीं दी जा सकती। यह सही है कि विशेषकर ऐसे कार्यालयों में जहां न्यायिक/अर्द्धन्यायिक स्वरूप का कार्य होता है, उनमें प्रकरण से संबंधित कागजात की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत भी यदि आवेदक कोई जानकारी लेना चाहता है तो उसे इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों के अधीन जानकारी दी जाना चाहिये। ऐसी जानकारी देते समय जन सूचना अधिकारी दी गई जानकारी पर ''सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त''सील लगा सकता है। इससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी दी गई है न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन प्रतिलिपि नहीं दी गई है। यह संबंधित आवेदक के ऊपर निर्भर है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त जानकारी का उपयोग कहां एवं किस प्रकार करता है। यदि जानकारी न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं प्राप्त की गई है तो ऐसे अभिलेखों की प्रति संबंधित अथवा उससे वरिष्ठ न्यायालय नियमों के अंतर्गत स्वीकार करता है अथवा नहीं यह संबंधित न्यायाय के विवेकाधिकार में होगा, उदाहरणार्थ किसी राजस्व न्यायालय के आदेश की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत माँगी जाती है तो उस प्रकार ली गई प्रति के आधार पर अपीलीय न्यायालय अपील स्वीकार कर सकता है अथवा नहीं ? यह माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत माँगी जाती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ही दी जाना चाहिये।

4/ जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को माँगी गई जानकारी निःशुल्क सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर दी जावे। सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को इस आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ भेजी जावे कि ऐसे कार्यालय में जहाँ पर शुरू से ही किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये नियम एवं शुल्क निर्धारित हैं,

उनके कार्यालय में आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अभिलेख की प्रतिलिपि दी जाना चाहिये तथा इन अभिलेखों में ''**सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त**'' की सील लगाई जावे। इस प्रकार के निर्देश नियमानुसार परीक्षण कराकर सभी विभागों को जारी किया जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी नहीं दिये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं है। नियमों की व्याख्या के कारण जानकारी नहीं दी गई है, अतः जन सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

5/ अतः उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त